राजस्थान सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांकः 17( )खावि/न्याय/कोविड/2021 दिनांक : 23.04.2021

आदेश

जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत् सीमित संख्या में लोग बाजारों से अपने घर का जरूरी सामान लेते हैं। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई तथा उनके मूल्य पर नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सभी राज्यों को उचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। ऐसे में राज्य सरकार की प्राथमिकता भी लोगों को उचित खुदरा सामान सही मूल्य पर दिलाने की है। अतः जिले मे कार्यरत सभी जिला रसद अधिकारी पूर्व में जारी निर्देशों के ही क्रम में निम्नलिखित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगेः—

1. शहर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विभाग निगरानी रखे तथा किसी भी सूरत में काला बाजारी होने की स्थिति नहीं बने।
2. एमआरपी से ज्यादा मूल्य उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया जावे, यह सुनिश्चित करने के लिए बाजारों में आवश्यकतानुसार मूल्य चेक कराने के लिए इन्फोरमर/डिकॉय कार्यवाही सम्पादित करावें।
3. खाद्य विभाग, विधिक माप विज्ञान, पुलिस तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मिलकर काला बाजारी तथा अधिक मूल्य लेने वाले लोगों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए समन्वय स्थापित किया जावे। इस हेतु आप जिला कलक्टर से सम्पर्क करें।
4. रेडियो/सोशल मीडिया/प्रेस.नोट/अन्य प्रचार प्रसार के साधनों के जरिये जरूरी वस्तुओं के संबंध में आम जनता में विश्वास कायम किया जावे।
5. राज्य की उपभोक्ता मामले विभाग की हैल्प लाईन 18001806030 तथा वाट्सअप नं. 7230086030 वेब साईट www.consumeradvice.in का लगातार प्रचार प्रसार करते रहे।

क्रमशः 2

6. आम जन के द्वारा की जाने वाली शिकायतों तथा मुख्यालय से भेजी जाने वाली इस प्रकार की फीड बैक पर बिना किसी देरी के कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

उपरोक्त निर्देशों का पालना पूरी कड़ाई से करें तथा किसी भी प्रकार की जटिल परिस्थिति बनने पर मुख्यालय पर सम्पर्क करें।

(नवीन जैन)
शासन सचिव

क्रमांकः 17( )खावि/न्याय/कोविड/2021 दिनांक : 23.04.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अपर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
3. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान
4. निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग/विधिक माप विज्ञान/अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग।
5. समस्त विभागीय अधिकारीगण।
6. जिला रसद अधिकारी (समस्त)
7. उपनिदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान।
8. उपनियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राजस्थान।
9. प्रोग्रामर (एन.आई.सी.) खाद्य विभाग को ई—मेल/पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त